

AA

Entered at 26.10.15

② 196
201

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्ता अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संख्या 2400

/ए-7/220

दिनांक : 21-05-2011

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सन्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा० अध्यक्ष (मा०) द्वारा दिनांक 13.05.2011 को अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1	1430225	दसुखरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 में स्व-वित्त पोषित परियोजना-2011 (प्रथम चरण) में शिखर एक्स्लेट (स्वीकृत) फ्लैट्स का निर्माण कार्य। 2 B.H.K. के 36 नग 3 B.H.K. के 72 नग योग	506.34 1394.46 1899.80	632/176

- 1- आवास आयुक्त के निर्देशान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिवेच के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्नगत कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।
- 3- वेद्रीफाइड टाइल्स, स्वीमिंग पूल, गार्ड रूम, ट्रान्सफार्मर एवं डी०जी०सेट, वाह्य विकास कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल के कार्य की वास्तविकता के आधार पर डी०पी०आर० तैयार कर पंजीकरण पुस्तिका में ही मयी विविधियों के अनुसार पंजीकरण पुस्तिका में घोषित विक्रय मूल्य के सापेक्ष, अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 4- कार्यों का सम्पादन सक्षम स्तर से अनुमोदित विविधियों, अनुमन्य मृदा भारण क्षमता के आधार पर स्वीकृत नींव की डिजाइन/स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्वीकृत ले-आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान इत्यादि के अनुसार कराया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, भौतिक कब्जा हस्तान्तरण एवं पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई०डी०नं० के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 6- विस्तृत प्राकल्पन में ती गई विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 7- विस्तृत प्राकल्पन में प्राक्धानित विभिन्न मदों की दरों/इंजीनियरिंग एप्रोसिएशन को आधार नहीं माना जायेगा तथा नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।
- 8- कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9- उक्त कार्य स्व-वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

(एम्ब पी० वैश्य)

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 21-05-2011

पृ०सं०: 2400 /ए-7/220

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (मा०) के निजी सचिव।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)/अधीक्षण अभियन्ता, सन्तम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, तक०/निर्माण खण्ड-1/27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 7- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

44

Entered at 8/10/16

(अभियन्त्रण अनुमति)

104, महाराणा गौरी मार्ग, लखनऊ
/ए-7/227

दिनांक : 21.05.2011

संख्या 2401

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा० अध्यक्ष (मा०) द्वारा दिनांक 13.05.2011 को अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

④ 198
203

क्र.सं.	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1	1430226	बसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 में स्व-वित्त पोषित परियोजना-2011 (प्रथम चरण) में शिखर एन्क्लेव (एन्क्लेव) फ्लैट्स का निर्माण कार्य। 2 B.H.K. के 72 नग 3 B.H.K. के 36 नग योग	1018.54 701.27 1717.81	632 / 177 ,

- 1- आवास आयुक्त के निर्देशान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशंगत कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।
- 3- वेट्रीफाइड टाइल्स, स्वीमिंग पूल, गार्ड रूम, ट्रान्स्फार्मर एवं डी०जी०सेट, वाह्य विकास कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल के कार्य की वास्तविकता के आधार पर डी०पी०आर० तैयार कर पंजीकरण पुस्तिका में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार पंजीकरण पुस्तिका में घोषित विक्रय मूल्य के सापेक्ष, अलग से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 4- कार्यों का सम्पादन सक्षम स्तर से अनुमोदित विशिष्टियों, अनुमन्य मृदा भारण क्षमता के आधार पर स्वीकृत नींव की डिजाइन/स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्वीकृत ले-आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान इत्यादि के अनुसार कराया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर मूल्यांकन, भौतिक कब्जा हस्तान्तरण एवं पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई०डी०नम्बर के साथ ही संवर्धित किसे जायेंगे।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न नदों की वरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 7- विस्तृत प्राक्कलन में प्राविधानित विभिन्न मदों की दरों/इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन को आधार नहीं माना जायेगा तथा नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।
- 8- कार्य 24 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9- उक्त कार्य स्व-वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

(मा० पी० वैश्य)
21.05.11

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 21.05.2011

पृ०सं०: 2401 /ए-7/227

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (मा०) के निजी शोध।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता (प्र०)/अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, तक०/निर्माण खण्ड-1/27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 7- मूल्यांकन/सम्परोक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल हेतु।

(मा० पी० वैश्य)
21.05.11

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
/ए-7/286

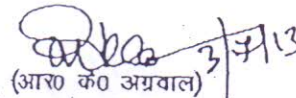
दिनांक 4.7.2013

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म०) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1	1430246	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2011 (प्रथम चरण) शिखर इन्क्लेव के अन्तर्गत 2BHK-36 नग तथा 3BHK-72 नग (S+9) फिनिशड भवनों के अवशेष निर्माण कार्य (ग्रुप-ए)	848.24	632/184

- 1- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि नियिदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों तथा स्वीकृत ले-आउट प्लान, डिजाइन, ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा एवं निर्धारित कार्यावधि में पूर्ण किया जायेगा।
- 3- परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 5- कार्य की विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों को आधार नहीं माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।


(आर० के० अग्रवाल)

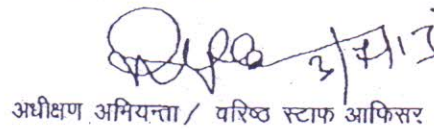
अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 4.7.2013

पू०सं०: 2464/ए-7/286

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (म०) के निजी सचिव।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, तक्र०/निर्माण खण्ड-27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 7- मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।


अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

CP-27

/P.-7/287

संख्या

2463

दिनांक ५.७.२०१३

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म०) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	1430245	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2011 (प्रथम चरण) शिखर इन्व्हेस्ट के अन्तर्गत 2BHK-72 नग तथा 3BHK-36 नग (S+9) फिनिशड भवनों के अवशेष निर्माण कार्य (ग्रुप-बी)।	851.05	632/185

- 1- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों तथा स्वीकृत ले-आउट प्लान, डिजाइन, ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा एवं निर्धारित कार्यावधि में पूर्ण किया जायेगा।
- 3- परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 5- कार्य की विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिरासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों को आधार नहीं माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।

(आर० के० अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता / वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: ५-३-२०१३

पृ०सं०: २५६३/ए-७/२८७

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (म०) के निजी सचिव।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, संपत्त वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, तक०/निर्माण खण्ड-27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 7- मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता / वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

AA

AA
9-19उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संख्या

2460 / ए-7/289

दिनांक 4-7-2013

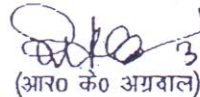
10
2013

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म०) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	1430247	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-15 स्थित स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत शिखर इन्चलेव में निर्माणाधीन 216 नग भवनों के क्षेत्रीय विकास के कार्य।	435.90	632/186

- 1- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों तथा स्वीकृत ले-आउट प्लान, डिजाइन, ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा एवं निर्धारित कार्यावधि में पूर्ण किया जायेगा।
- 3- परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 4- तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 5- कार्य की विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों को आधार नहीं माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।


(आर० के० अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

दिनांक: 4-7-2013

प्र०सं०:

2460 / ए-7/289

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (म०) के निजी सचिव।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, तक्र०/निर्माण खण्ड-27, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 7- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।


(आर० के० अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर

AA

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संख्या

/ए.ई.(ई./एम)/ई.डी.-2/71

दिनांक

2 copy
205/210
10A

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म०) के अनुमोदन दिनांक 21.05.2014 के कम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क०सं०	परियोजना आई०डी०नं०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	1430250	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के अन्तर्गत शिखर इन्क्लेव भवनों में 216 नग बहुमजिले भवनों हेतु बाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	466.23	632/189

- 1- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की स्वीकृति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- 3- कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
- 4- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक प्रोजेक्ट उक्त आई०डी० नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 5- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त नवम्बर-2014 तक पूर्ण कर लिया जाये।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें कि कराये जाने वाले कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।
- 7- निविदा एकल ग्रुप में की जायेंगी।

(सन्तू राम)

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पृ०सं०: 1706/ए.ई.(ई./एम)/ई.डी.-2/71

दिनांक: 23-5-2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र०, आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, (प्र०)/विद्युत वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 5- अधिशासी अभियन्ता (मु०)/विद्युत/विद्युत खण्ड-द्वितीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद।
- 6- मूल्यांकन/सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता/ वरिष्ठ स्टाफ आफिसर